न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं. : 100/17

अनवान :

1. रोहताश पुत्र मोहरसिंह कौम जाट सा0 कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
— **वादी**

बनाम

1. मोहरसिंह उर्फ लीलु पुत्र सोहनलाल जाति जाट सा0 कुंजी तहसील भादरा
- **असल प्रतिवादी**
2. राजबाला पुत्री मोहरसिंह जाति जाट सा0 कुंजी तहसील भादरा।
- **तरतीबी प्रतिवादी**
3. पीएनबी बैंक शाखा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा मलसीसर तहसील भादरा।
- **प्रतिवादी**

दावा बाबत इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा : वादी
निर्णय **दिनांक :** 16.3.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कुंजी के खाता सं0 100/83 के खसरा सं0 8/1 की 0.6070 है0 खसरा सं0 14/1 की 0.0510 है0, खसरा सं0 286/2 की 1.6300 है0 कुल 2.2880 है0 इसी प्रकार ग्राम किंकराली के खाता सं0 111/113 के खसरा सं0 42/2 की 5.3420 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कुल वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है अर्थात् मोहरसिंह को अपने पिता सोहनलाल से विरासतन में प्राप्त हुई है इसलिए उक्त वाद भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादीया का प्रतिवादी सं0 1 के साथ बहिस्सा बराबर हक बनता है और वादी इसी अनुसार घोषणा न्यायालय हाजा से प्राप्त करने का मजाज कानूनी है।

चूंकि दावा की मद सं0 1 में दर्ज वाद भूमि पैतृक पुस्तैनी कृषि भूमि है इसलिए प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादी व तरतीबी प्रतिवादीया राजबाला का बहिस्सा बराबर अर्थात् कुल वाद भूमि में वादी 1/3 हिस्सा का, प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह 1/3 हिस्सा का, प्रतिवादीया राजबाला 1/3 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है और इसी अनुसार घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज करवाने की अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ने इकबाल दावा व प्रतिवादी सं0 4 ने जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं 2 व 3 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी स्वयं रोहताश कुमार पुत्र मोहरसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कुंजी खाता सं0 100/83

सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम किंकराली खाता सं0 111/113 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम कुंजी प्रदर्श 3, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम किंकराली प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम किंकराली सम्वत् 2053 से 56 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि भूमि पैतृक कृषि भूमि है तो कि मोहरसिंह को अपने पिता सोहनलाल से विरासतन प्राप्त हुई है इस प्रकार विवादित कृषि भूमि वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम किंकराली व कुंजी में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हक की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा पुष्टि हेतु जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम किंकराली सम्वत् 2053 से 56 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाई है उसमें शुद्धि पत्र की क्र0सं0 3 में ए व बी के मध्य तुलच्छा, मोहरसिह, रामकुमार पिसरान सोहन बहिस्सा बराबर की प्रविष्टि अंकित है इस प्रकार विवादित उक्त ग्राम की कृषि भूमि वादी के पिता को विरासतन प्राप्त होना व पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। परन्तु ग्राम कुंजी की कृषि भूमि को पैतृक कृषि भूमि साबित करने बाबत कोई दादालाई का राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है।

अत : वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम किंकराली के खाता सं0 111/113 के खसरा सं0 42/2 की 5.3420 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के बजाय वादी, प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह व प्रतिवादी सं0 2 राजबाला तीनों 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं ग्राम कुंजी के खाता सं0 100/83 के खसरा सं0 8/1 की 0.6070 है0 खसरा सं0 14/1 की 0.0510 है0, खसरा सं0 286/2 की 1.6300 है0 कुल 2.2880 है0 कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् रखी जावे। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.3.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा,जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं. : 100/17

अनवान :

1. रोहताश पुत्र मोहरसिंह कौम जाट सा0 कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम

1. मोहरसिंह उर्फ लीलु पुत्र सोहनलाल जाति जाट सा0 कुंजी तहसील भादरा

- असल प्रतिवादी

2. राजबाला पुत्री मोहरसिंह जाति जाट सा0 कुंजी तहसील भादरा।

- तरतीबी प्रतिवादी

3. पीएनबी बैंक शाखा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा मलसीसर तहसील भादरा।

- प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम किंकराली के खाता सं0 111/113 के खसरा सं0 42/2 की 5.3420 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के बजाय वादी, प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह व प्रतिवादी सं0 2 राजबाला तीनों 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं ग्राम कुंजी के खाता सं0 100/83 के खसरा सं0 8/1 की 0.6070 है0 खसरा सं0 14/1 की 0.0510 है0, खसरा सं0 286/2 की 1.6300 है0 कुल 2.2880 है0 कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् रखी जावे। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.3.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ